रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14072026-274500
CG-DL-E-14072026-274500

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 558] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 13, 2026/आषाढ 22, 1948
No. 558] NEW DELHI, MONDAY, JULY 13, 2026/ASHADHA 22, 1948

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 616(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और तत्कालीन महासागर विकास विभाग (वैज्ञानिक 'बी') भर्ती नियम, 2000 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में वैज्ञानिक 'बी' के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्: -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ –**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (वैज्ञानिक 'बी') भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स –** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अन्य अर्हताएं, आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता – वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने, अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा;

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है, कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति –** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन पद है अथवा अचयन पद ।**
1	2	3	4	5
वैज्ञानिक बी	28(2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (उचित) - 10 राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र (एनसीएमआरडब्ल्यूएफ) - 16 समुद्री सजीव संसाधन एवं पारिस्थितिकी केंद्र (सीएमएलआरई) - 02	**साधारण केंद्रीय सेवा अननुसचिवीय राजपत्रित समूह, क**	**वेतन मैट्रिक्स मे स्तर-10 (रु. 56100-177500)**	चयन पद

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा ।
6
35 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पाँच वर्ष तक की छूट दी जा सकती है ।) : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख संघ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन के अनुसार होगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ ।	
7	
अनिवार्य	
अर्हता: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विनिर्दिष्ट विषयों में से विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री: गणित, भौतिक विज्ञान, वायुमंडलीय विज्ञान/भौतिकी, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, मौसम विज्ञान, समुद्र विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान, सांख्यिकी, संचालन अनुसंधान, पर्यावरण विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, रिमोट सेंसिंग, कृषि, भू-सूचना विज्ञान, मृदा विज्ञान, भू भौतिकी, भूविज्ञान, भौमिकी, भू-रसायन विज्ञान, मत्स्य पालन, समुद्री विज्ञान, समुद्री जीव विज्ञान, समुद्री भूविज्ञान, समुद्री भूभौतिकी, जैव रसायन, कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर अनुप्रयोग, एक्वाकल्चर, माइक्रो- बायोलोजी, भूकम्प विज्ञान, हाइड्रोकेमिस्ट्री । या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विनिर्दिष्ट विषयों में अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री: पर्यावरण इंजीनियरिंग, महासागर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स संचार इंजीनियरिंग, समुद्री इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, यांत्रिक इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार प्रौद्योगिकी, भूकंप इंजीनियरिंग, रसायन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, मैकेट्रॉनिक्स, विद्युत इंजीनियरिंग, कंप्यूटर विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी। या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विनिर्दिष्ट विषयों में अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिग्री: वायुमंडलीय विज्ञान, महासागर विज्ञान, महासागर प्रौद्योगिकी, जल संसाधन, जल विज्ञान, हाइड्रॉलिक एवं कोस्टल इंजीनियरिंग, वायुमंडलीय भौतिकी, भूप्रौद्योगिकी भू-पर्यावरणीय अभियांत्रिकी, वायुमंडलीय-महासागर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ऊर्जा एवं पर्यावरणीय प्रबंधन, पारिस्थितिकी पर्यावरण विज्ञान, महासागर अभियांत्रिकी प्रबंधन, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, कृषि अभियांत्रिकी, जैवप्रौद्योगिकी, भू विज्ञान भौमिकी, खनन अभियांत्रिकी, मैरीन इंजीनियरिंग, पर्यावरणीय विज्ञान प्रौद्योगिकी, जैव-प्रौद्योगिकी,	**अनुभव:** शिक्षण, अनुसंधान और विकास, सर्वेक्षण प्रशासन, योजना, पर्यवेक्षण या सुसंगत विषयों में प्रशिक्षण में दो वर्ष का अनुभव।

विनिर्माण प्रौद्योगिकी प्राकृतिक आपदा प्रबंधन प्रौद्योगिकी परियोजना प्रबंधन, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, रडार और माइक्रोवेव इंजीनियरिंग। टिप्पण: पदों की आवश्यकता के अनुरूप सटीक शैक्षणिक अर्हताओं के बारे में भर्ती के समय विनिर्दिष्ट किया जाएगा।	
अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, शिथिल की जा सकती है ।	अनुभव संबंधी अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार, उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	**परिवीक्षा अवधि, यदि कोई ।**	**भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।**	
8	9	10	
		पद्धति	**प्रतिशत**
आयु: लागू नहीं होता । **शैक्षणिक अर्हता:** हां	सीधे भर्ती होने वाले व्यक्तियों और प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष **टिप्पण:** केंद्रीय सरकार द्वारा विहित परिवीक्षा के सफलतापूर्वक पूरा होने के लिए, सीधे भर्ती होने वाले व्यक्तियों के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का एक अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण होगा।	सीधी भर्ती **टिप्पण 1:** एक पद कनिष्ठ विश्लेषक से प्रोन्नति द्वारा भरा जाएगा और एक कनिष्ठ विश्लेषक की प्रोन्नति के पश्चात सभी रिक्तियां सीधी भर्ती से भरी जाएंगी। **टिप्पण 2**: प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों में पदधारी के एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए बाहर रहने से उत्पन्न हुई रिक्तियों को केंद्रीय सरकार के अन्य अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति से भरा जा सकेगा। (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हो; या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन स्तर-9 (रु. 53100-167800) या समकक्ष में नियमित आधार पर	100

		नियुक्ति के पश्चात् दो वर्ष की सेवा की हो; या (iii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन स्तर-8 (रु. 47600-151100) या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात चार वर्ष की सेवा की हो; या (iv) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन स्तर -7 (रु. 44900-142400) या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष की सेवा की हो; और (ख) स्तंभ 7 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हता और अनुभव होना।	

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा ।
11
ऐसे कनिष्ठ विश्लेषक जो वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (रु. 44900-142400) में हैं और जिन्होनें नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और मंत्रालय के वैज्ञानिक या अनुसंधान कार्यक्रमों के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास की योजना और क्रियान्वयन, सार्वजनिक-निजी भागीदारी सहित अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के विकास, परियोजना की समीक्षा और निगरानी, प्रतिवेदन तैयार करने और वैज्ञानिक गतिविधियों के समन्वय से संबंधित विषयों पर दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पुरा किया हो ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।	
12	
विभागीय प्रोन्नति समिति 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव (प्रशासन), पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय - सदस्य 3. वैज्ञानिक एफ या वैज्ञानिक जी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय -सदस्य	**विभागीय पुष्टिकरण समिति** 1. संयुक्त सचिव (प्रशासन), पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय - अध्यक्ष 2. वैज्ञानिक जी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय - सदस्य 3. निदेशक या उप-सचिव (प्रशासन) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय - सदस्य

भर्ती करने में किन पारिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
13
संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. एमओईएस/21/02/2009-स्थापना]

श्रीनिवास राव गंगी रेड्डी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF EARTH SCIENCES

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th July, 2026

G.S.R. 616(E).— In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Department of Ocean Development (Scientist 'B') Recruitment Rules, 2000 published in the Gazette of India Part II, Section 3, Sub-section (i), number G.S.R. 137 RRs in so far as they relate to the post of the Scientist 'B', except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of the Scientist 'B' in Ministry of Earth Sciences, namely: -

1. **Short title and commencement –**

   a. These rules may be called the Ministry of Earth Sciences (Scientist 'B')

      Recruitment Rules, 2024

   b. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application:** These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of post, classification and scale of pay. -** The number of post, its classification and the Level in the Pay Matrix attached thereto shall be a specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc. –** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

5. **Disqualification –** No person, -

   a. who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to Relax** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving –** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Other Backward Classes, Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Name of Post	**No of Posts**	**Classification**	**Pay Level in the Pay Matrix**	**Whether Selection post / Non Selection Post**
1	2	3	4	5
Scientist B	28(2023) *Subject to variation dependent on workload Remark: MoES (P) - 10 NCMRWF-16 CMLRE - 02	**General Central Service** Non Ministerial Gazetted Group, A	10	Selection Post

Age Limits for Direct Recruits
6
Not exceeding 35 Year (relaxable for govt servants upto 5yrs in accordance with instructions or orders issue by central govt.) **6(a)Crucial description:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the UPSC.

Educational and other Qualification required for direct recruits	
7	
Essential	
Qualification: Essential : Masters degree in Science from recognized University in any specified discipline Mathematics, Physics, Atmospheric Science/Physics, Chemistry, Zoology, Botany, Biology Science, Meteorology, Oceanography, Earth Sciences, Statistics, Operations Research, Environmental Science, Electronics Instrumentation, Remote Sensing, Agriculture, Geo informatics, Soil Sciences, Geophysics, Geology, Geosciences, Geochemistry, Fisheries, Marine Sciences, Marine Biology, Marine Geology, Marine Geophysics, Biochemistry, Computer Sciences, Computer Applications, Aquaculture, Micro-biology, Seismology, Hydrochemistry OR Bachelor Degree in Engineering Technology from recognized University in specified subjects: Environmental Engineering, Ocean Engineering, Electronic Communication Engineering, Marine Engineering, Civil Engineering, Mechanical Engineering, Information Technology, Telecom Technology, Earthquake Engineering, Chemical Engineering, Instrumentation Technology, Mechatronics, Electrical Engineering, Computer Science, Biotechnology. OR Masters Degree in Engineering Technology from recognized University in specified subjects : Atmospheric Science, Ocean Science, Ocean Technology, Water Resources, Hydrology, Hydraulic Coastal Engineering, Atmospheric Physics, Geotechnical Geo-Environmental Engineering, Atmospheric-Ocean Science Technology, Energy and Environmental Management, Ecology Environmental Science, Ocean Engineering Management, Aerospace Engineering, Agricultural Engineering, Biotechnology, Geology Geophysics, Mining Engineering, Marine Engineering, Environmental Science Technology, Geo-Engineering, Construction Technology Natural Disaster Technology Project Management, Structural Engineering Natural Disaster Management, Disaster Management, Radar and Microwave Engineering **Note**: The exact educational qualifications according to the requirement of the post, shall be specified at the time of recruitment.	**Experience:** Two years experience in teaching, research and development, survey administration, planning, supervision or training in relevant subjects.

Desirable	
Qualification: Nil	**Experience:** Nil
Qualification Standard Note	**Experience Standard Note**
Qualifications are relaxable at the discretion of the U.P.S.C., for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.	The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the U.P.S.C., for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the U.P.S.C., is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age & educational qualification prescribed for Direct Recruitment will apply in the case of promotees	**Period of Probation if any**	**Method of Recruitment,whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**	
8	**9**	**10**	
		Method	**Percentage**
AGE: NA **Edu.Qual:** Yes	2 Remark: for Direct Recruits and Promotees Note: There shall be a mandatory induction training for Direct Recruits of at least two weeks duration for successful completion of the probation as prescribed by the Central Government.	7.Direct Recruitment Note : **Note 1:** One post shall be filled by promotion from Junior Analyst. Subsequent to promotion of one Junior Analyst, all the vacancies shall be filled by Direct Recruitment. Note 2 : Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government: (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with 2 years regular service rendered after appointment to the post on regular basis in the pay level 9 or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with 4 years regular service rendered after appointment to the post on regular basis in the pay level 8 or equivalent in the parent cadre or department; or (iv) with 5 years regular service rendered after appointment	100

		to the post on regular basis in the pay level 7 or equivalent in the parent cadre or department; and (b) Possessing the educational qualification and experience prescribed for direct recruits under col. 7	

In case of recruitment by Prom/Dep./abs. grades from which prom/dep./abs to be made
11
Junior Analyst in Level-7 in the Pay Matrix with 5 years of service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis and having successfully completed 02 weeks training in planning and executing Research and Development in the domain of scientific/Research programmes of the ministry, development of Research and Development projects including in public-private-partnership mode; project review and monitoring, preparation of reports, and coordination of scientific activities in the field. **Standard Note:** NA

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	
12	
Departmental Promotion Committee Chairman or Member, Union Public Service Commission :-Chairman; Joint Secretary (Administration), Ministry of Earth Science:- Member; Scientist F or Scientist G, Ministry of Earth Sciences:- Member.	**Departmental Confirmation Committee** Joint Secretary (Administration), Ministry of Earth Sciences :-- Chairman; Scientist G, Ministry of Earth Science :- Member; Director or Deputy Secretary (Administration), Ministry of Earth Sciences:- Member.

Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment
13
Consultation with UPSC is necessary.

[F. No. MoES/21/02/2009-Estt]

SREENIVASA RAO GANGI REDDY, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA